

ISSN 2320-5601 Pairokar

पैरोकार

साहित्य, शिक्षा, कला व संस्कृति की त्रैमासिकी

वर्ष : 11 • अंक : 1 • जनवरी-मार्च, 2022 • RNI-WBHIN/2012/44200



वर्ष 11 • अंक 1 • जनवरी-मार्च 2022
अंतरराष्ट्रीय पीयर रिव्यूड पत्रिका

प्रधान संपादक : अनवर हुसैन
संपादकीय सलाहकार : डॉ. सुनील कुमार 'सुमन'
प्रबंध संपादक : मनोज कुमार
कार्यकारी संपादक : डॉ. मोहम्मद आसिफ आलम
सहायक संपादक : डॉ. ललित कुमार
अंतरराष्ट्रीय सदस्य:
डॉ. मोरवे रोशन के : यूनिवर्सिटी ऑफ लॉडज, पोलैंड
और बांगोर यूनिवर्सिटी, यूके
पीयर रिव्यूड टीम :
प्रो. एमजे वारसी : अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़,
डॉ. श्रीधरम : आरएसडी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय,
डॉ. संजय जायसवाल : विद्यासागर विश्वविद्यालय,
मेदिनीपुर, प. बंगाल, **डॉ. उमा यादव :** महात्मा गांधी
केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, **डॉ. अनीश कुमार :**
द पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड
ह्युमैनिटीज
संपादक मंडल :
सेराज खान बातिश, डॉ. विवेक साव, डॉ. श्रीनिवास सिंह
यादव, डॉ. चक्रधर प्रधान, नारायण दास, बृजेश प्रसाद,
सदाम हुसैन
टाइप सेटिंग : रामजी पंडित

संपादकीय कार्यालय

स्वास्तिक अपार्टमेंट

पैरोकार मीडिया प्रोडक्शन्स प्रा. लि.

पीरतला, आगरपाड़ा, कोलकाता-700109

मोबाइल : 9831674489

E-mail ID - pairokarpublication@gmail.com

m9903849713@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक व मुद्रक रोजायदा खातून द्वारा स्वास्तिक
अपार्टमेंट, पीरतला, आगरपाड़ा, कोलकाता-700109 से प्रकाशित
व हाइटेक कम्यूनिकेशन्स एण्ड कन्सल्टेन्ट्स, पीरतला, आगरपाड़ा,
कोलकाता-700109 से मुद्रित।

संपादक : रोजायदा खातून

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं/लेखों की मौलिकता का दायित्व
स्वयं रचनाकारों का है, उससे सम्पादक व प्रकाशक का सहमत
होना आवश्यक नहीं है। किसी तरह का विवाद कोलकाता न्याय
क्षेत्र के अधीन ही होगा।

विषय सूची

संपादकीय	2
— अनवर हुसैन	
सामाजिक विषमताओं के संदर्भ में राजेश की कतिवताएँ	3
— डॉ. मकेश्वर रजक	
भारतीय नारी विमर्श की आधार शीला : सावित्री बाई फुले और ताराबाई शिंदे	12
— डॉ. रणवीर समुधे भगवान	
साहित्य में स्त्री-विमर्श की भूमिका	17
— कुमारी भारती	
भक्तिकाल की आधुनिक लोक जागरण की प्रसंगिकता	20
— डॉ. चंदन कुमार	
सिनेमा और समाज : अंतर्सम्बन्ध	24
— डॉ. मोहम्मद आसिफ आलम	
बंकिमचंद्र : राष्ट्रीयता का उद्घोषक	28
— डॉ. चक्रधर प्रधान	
वर्तमान समय में तुलसी के समन्वय का महत्व	32
— डॉ. श्रीनिवास सिंह यादव	
मोहन राकेश की कहानियों में विश्लेषित नारी	35
— रीता कुमारी	
हिन्दी साहित्य में भारतेन्दु युगीन महिला रचनाकारों का अवदान	40
— डॉ. महेश सिंह	
कविता :	45
सिम्बॉल ऑफ नॉलेज	
— नारायण दास	
क्यों बदल गए	
— पिकी सिंह	46
गीत :	
सफर में साथ-साथ चल तू	
रिपोर्ट :	47

संपादन और प्रबंधन के सभी पद अवैतनिक

मूल्य एक प्रति- रू. 25/- वार्षिक सहयोग राशि- रू. 400/-

संस्थाओं के लिए : रू. 500/-, इस अंक का मूल्य रू. 50/-

किसी भी देश का सर्वांगीण विकास कुछ हद तक उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। उच्च शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत आज कुछ ज्यादा ही है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि विज्ञान को छोड़ कर अधिकांश शिक्षा क्षेत्रों में व्यवहारिक ज्ञान की कमी रही है। यही वजह है कि विज्ञान से इतर विषयों में पीएचडी करने वाले कुछ लोग बेरोजगार की श्रेणी में बने रहते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी पीएचडी धारक बेरोजगार नहीं है, इसे भी सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। पीएचडी करने के बावजूद अगर कोई युवा बेरोजगार रह जाता है तो इसका मतलब हमारी उच्च शिक्षा व्यवस्था में खामियाँ हैं। पारंपरिक रूप से शिक्षा ग्रहण कर कुछ युवा जरूर प्रोफेसर और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे पद प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसमें उनकी ज्ञान कम और तोता रटंत विद्या तथा कुछ शुभचिंतकों की ही कृपा अधिक होती है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अध्यापन के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट), पीएचडी और साथ ही मास्टर डिग्री में 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य माना जाता है। इन मानदंडों को पूरा करने वाले ज्ञानी गुणी लोग व्यवहारिक ज्ञान में भी दक्ष हैं, यह जरूरी नहीं है। यही वजह है कि उनके दिशा निर्देश में पीएचडी करने वाले कुछ युवा बेरोजगार हो जाते हैं। यदि कोई उच्च पद प्राप्त कर लिया तो उसके पीछे किसी महानुभाव की विशेष कृपा ही होती है। कहने का अर्थ है यह कि एक उच्च शिक्षित युवा को अपनी योग्यता के अनुसार अच्छी नौकरी प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आएगी तभी जाकर बड़े डिग्रीधारी सभी युवक अपनी योग्यता अनुसार करियर बनाने में सफल होंगे।

खुशी की बात है कि यूजीसी उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अब सार्थक

अनवर हुसैन

कदम उठाने जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले पेशेवरों को भी अब विश्वविद्यालयों और कालेजों में पढ़ाने का मौका मिलेगा। कालेजों और विश्वविद्यालयों में अध्यापन के लिए यूजीसी पीएचडी और नेट की अनिवार्यता खत्म करने जा रहा है। संचार, पत्रकारिता और वाणिज्य आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने वाले पेशेवर भी अब कालेजों और विश्वविद्यालयों में अध्यापन कर सकेंगे। इससे शिक्षण संस्थान और उद्योगों के बीच जो गरही खाई है वह भरेगी और छात्र व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करने में सक्षम होंगे।

यूजीसी नई शिक्षा नीति के अनुसार जो व्यापक बदलाव करने जा रहा है उसमें कालेजों और विश्वविद्यालयों में अब विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर विशेषज्ञों से भी छात्र व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण करेंगे। यूजीसी के इस निर्णय के तहत इसी साल से एमफिल् की डिग्री समाप्त कर दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत चार वर्षीय स्नातक छात्र भी पीएचडी करने के योग्य माने जाएंगे। निश्चय ही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में यूजीसी का यह एक सार्थक कदम है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। छात्रों के अंदर हर क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाने के लिए कम अवधि का कोर्स भी कराया जाना चाहिए ताकि कालेजों और विश्वविद्यालयों की डिग्री हासिल करने के बाद कोई बेरोजगार नहीं रह सके। उच्च शिक्षा का उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने के बाद कोई भी युवा खुद रोजगार करने में सक्षम हो व औरों को भी रोजगार उपलब्ध कराने में मददगार साबित हो। ऐसा होता है तभी जाकर उच्च शिक्षा का महत्व बढ़ेगा।